

न्यायालय-ए०के०गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक०क्र०-250/13

संस्थित दिनांक-03.05.13

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-मौ

जिला-भिण्ड (म०प्र०)

.....अभियोगी

विरुद्ध

राजकुमार पुत्र छत्रपाल जाटव उम्र 31 वर्ष

ग्राम ग्यारह थाना डीपार जिला दतिया म०प्र०

.....अभियुक्त

-:: निर्णय ::-

{आज दिनांक 22.02.18 को घोषित}

अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 279, 337, 304 ए, 427 एवं मोटरयान अधि० की धारा 146/196 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 22.04.13 के रात्रि 8 बजे या उसके लगभग मौ स्योढा रोड बारह वीघा मोड अंतर्गत थाना मौ लोकमार्ग पर वाहन एस्कार्ट टेक्टर

बिना नंबर का उतावले या उपेक्षा पूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया एवं उक्त कृत्य द्वारा आहत पिंटू की मोटरसाईकिल क्र० एम०पी०-30 बी०ए०-9735 में टक्कर मारकर उसे उपहति कारित की एवं उक्त मोटरसाईकिल पर पीछे बैठे पिंटू उर्फ जोगेन्द्र यादव की ऐसी मृत्यु कारित की जो कि आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती तथा यह जानते हुए या आशय से कि आहत पिंटू को सदोष हानि या नुकसान कारित होगा, उसकी मोटरसाईकिल में टक्कर मारकर करीब 11,500/-रुपये का नुकसान कर रिष्टि कारित की तथा उक्त टेक्टर का परिवहन बिना बीमा दस्तावेजों के किया।

2. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 22.04.13 को फरियादी पिंटू उर्फ राजेन्द्र जैन अपनी मोटरसाईकिल क्र० एम०पी०-30 बी०ए०-9735 से अमायन से मौ वापस आ रहा था। मोटरसाईकिल को पिंटू उर्फ जोगेन्द्र यादव चला रहा था। जैसे ही रात्रि करीब 8:30 बजे वारह बीघा नामक स्थान पर आए तो एक बिना नंबर के एस्कार्ट टेक्टर के चालक ने बड़ी तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाते हुए लाकर उसकी मोटरसाईकिल में सामने से टक्कर मार दी जिससे दोनों को चोटें आई और मोटरसाईकिल टूट गयी। पिंटू यादव को लेकर अस्पताल लेकर गया जहां उसकी मृत्यु हो गयी। उक्त आशय की सूचना से अप०क्र० 59/13 पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान शव परीक्षण कराया गया, आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। नक्शामौका बनाया गया।

साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए, वाहन जब्त कर जब्ती पत्रक, अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तार पत्रक बनाया गया, मैकेनिकल जांच कराई गयी बाद अनुसंधान अभियोग पत्र पेश किया गया।

3. अभियुक्त को पद क्र० 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। दफ़्तर की धारा 313 के अधीन अभियुक्त परीक्षण में अभियुक्त ने निर्दोष होने तथा झूठा फंसाए जाने का कथन किया है।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं –

1-क्या अभियुक्त ने दिनांक 22.04.13 के रात्रि 8 बजे या उसके लगभग मौ स्योढा रोड बारह वीधा मोड अंतर्गत थाना मौ लोकमार्ग पर वाहन एस्कार्ट टेक्टर बिना नंबर का उतावले या उपेक्षा पूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

2-क्या उक्त दिनांक व समय पर आहत पिंटू को शरीर पर कोई चोट थी, यदि हाँ तो उसकी प्रकृति क्या थी ?

3-क्या उक्त दिनांक, समय पर पिंटू उर्फ जोगेन्द्र की मृत्यु कारित हुई ?

4-क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त ने उक्त वाहन को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर आहत पिंटू की मोटरसाईकिल क्र० एम०पी०-30 बी०ए०-9735 में टक्कर मारकर मोटरसाईकिल पर पीछे बैठे पिंटू उर्फ जोगेन्द्र यादव की ऐसी मृत्यु कारित की जो कि आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती ?

5-क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर यह जानते हुए या आशय से कि आहत पिंटू को सदोष हानि या नुकसान कारित होगा, उसकी मोटरसाईकिल में टक्कर मारकर करीब 11,500/-रुपये का नुकसान कर रिष्टि कारित की ?

6-क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त टेक्टर का परिवहन बिना बीमा दस्तावेजों के किया ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

5. अभियोजन की ओर से प्रकरण में राजेन्द्र उर्फ पिंटू अ०सा० 1, धर्मेन्द्र अ०सा० 2, फेरनसिंह अ०सा० 3, डा० आर० विमलेश अ०सा० 4, निहालसिंह अ०सा० 5 को परीक्षित कराया गया है जबकि अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य नहीं दी गई है।

// विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2 व 3 का निष्कर्ष //

6- प्रकरण में फरियादी राजेन्द्र उर्फ पिंटू अ०सा० 1 यह कथन करते हैं कि घटना दिनांक 22.04.13 की है, वे अमायन गाडी का भाडा तलाशने के लिए गए थे और वापस मोटरसाईकिल से लौट

रहे थे। उनके साथ मृतक पिंटू था। सामने एक सफेद रंग के एस्कार्ट टेक्टर वाला आया जिसकी एक लाईट जल रही थी और टक्कर मार दी। टेक्टर का नंबर बताने में अस्मर्थ है, उसके चालक को भागते हुए देखने का कथन करते हैं। न्यायालय में उपस्थित व्यक्तियों में वाहन के चालक के संबंध में निश्चित कथन करने में अस्मर्थ रहते हैं कि अभियुक्त ही उक्त टेक्टर को चला रहा था। साक्षी कथित मोटरसाईकिल का नंबर बताने में अस्मर्थ हैं, किन्तु यह कथन करते हैं कि मोटरसाईकिल मृतक पिंटू चला रहा था। साक्षी कथन करते हैं कि रात्रि करीब 8:30 बजे घटना बारह बीघा नामक स्थान पर हुई थी। उक्त टेक्टर के चालक ने टक्कर मार दी जिससे उनके सिर में 5 टांके आए, पीठ में लगी व पांव में दो जगह अस्थिभंग हो गया। साक्षी मृतक पिंटू के संबंध में कथन करता है कि बाद में पता चला कि उसकी मृत्यु हो गयी है। साक्षी घटना की रिपोर्ट प्रपी0 3 बताकर अपने ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होना प्रमाणित करते हैं। साक्षी कथन करते हैं कि पुलिस मौके पर आई थी जो उन्हें उठाकर ले गयी थी।

7. प्रकरण में साक्षी पिंटू उर्फ राजेन्द्र अ0सा0 1 अपने प्रतिपरीक्षण में कथन करते हैं कि पुलिस उन्हें सीधे अस्पताल ले गयी थी जहां उनकी चिकित्सा कराई थी और अस्पताल व थाने में उनसे पूछताछ किए जाने का कथन कण्डिका 4 में करते हैं। साक्षी यह कथन कण्डिका 5 में करते हैं कि घटनास्थल पर उसके एवं मृतक पिंटू के अलावा और कोई नहीं था, बल्कि बाद में फेरनसिंह और धर्मेन्द्र आ गए थे जिन्होंने मदद की थी। साक्षी धर्मेन्द्र अ0सा0 2 कथन करते हैं कि वे घटनास्थल पर पहुंचे तो वहां टेक्टर से मोटरसाईकिल का एक्सीडेंट हो गया था। उक्त दुर्घटना में पिंटू उर्फ जोगेन्द्र को चोटें आने का कथन करते हैं और फरियादी पिंटू जैन के रिपोर्ट करने चले जाने का कथन करते हैं। फेरनसिंह अ0सा0 3 यह कथन करते हैं कि पिंटू स्योढा से मोटरसाईकिल से आ रहा था। उक्त मोटरसाईकिल पर पिंटू यादव और पिंटू जैन थे जिनमें से पिंटू यादव की मौके पर मृत्यु हो गयी, जबकि पिंटू जैन बेहोश हो गया था, उसके हाथ, पैर व पीठ में चोट आई थी।

8. डा0 आर0 विमलेश अ0सा0 4 यह कथन करते हैं कि दिनांक 22.04.13 को आहत पिंटू पुत्र नरेश को चिकित्सीय परीक्षण हेतु डा0 हरीश हाशवानी के समक्ष लाए जाने पर उन्होंने उसे निम्न चोटें पाई थी—

1—फटा हुआ घाव 3.5 गुणा 1/4 सेमी0 गुणा चमड़ी की गहराई तक सिर में दांयी ओर।

2—खरोंच 3/4 सेमी0 गुणा 1/2 सेमी0 पैर के पंजे में थी।

3—खरोंच 2.5 सेमी0 बांयी तरफ पीठ में थी।

4—आहत छाती में दर्द की शिकायत बता रहा था।

आहत को पाई चोटें सख्त व भौथरी वस्तु से कारित होना व चिकित्सीय परीक्षण से 24 घण्टे के भीतर की अवधि की होकर साधारण प्रकृति की होने के संबंध में डा0 हाशवानी द्वारा प्र0पी0 1 की

रिपोर्ट तैयार किए जाने का कथन करते हुए उस पर ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षरों को प्रमाणित करते हैं। साक्षी भारतीय साक्ष्य अधि० 1872 की धारा 47 के अधीन कारवार के अनुक्रम में हस्ताक्षर व हस्तलिपि से परिचित साक्षी के रूप में विशेषज्ञ के रूप में कथन करता है।

9. साक्षी डा० आर विमलेश अ०सा० 4 दिनांक 23.04.13 को मृतक जोगेन्द्रसिंह उर्फ पिंटू पुत्र मुंशीसिंह यादव का शव परीक्षण किए जाने का कथन करते हैं। शव परीक्षण में बाह्य चोटों के रूप में एक फटा हुआ घाव 10.2 गुणा 1.2 सेमी० गुणा हड्डी की गहराई तक बायीं ओर सिर में मौजूद होने, छाती पर खरोच, छाती के निचले हिस्से में खरोच, पेट के निचले हिस्से में खरोच, दाहिने हाथ के पृष्ठ भाग में तीन खरोच, दाहिनी बाजू में फटा हुआ घाव, दाहिने कान पर फटा हुआ घाव मांस पेशी की गहराई तक, खरोच बाएं कंधे पर, बाएं पैर के उपरी हिस्से में खरोच तथा दाहिने पैर के पंजे में हड्डी की गहराई तक फटा हुआ घाव विभिन्न आकार के पाए थे। आंतरिक परीक्षण करने पर मृतक की दोनों ओर की पसलियां टूटी होने, सामने की हड्डी टूटी होने, दाहिना फेफड़ा बीच में फटा, हृदय के दोनों कोष्ठ खाली, पेट के आंतरिक अंग रक्त विहीन व घावों के उपर धूल व मिट्टी, रेत के कण मौजूद होने का कथन करते हैं। मृतक की मृत्यु के संबंध में अभिमत देते हुए भारी वजन के वाहन से कुचलने से प्रतीत होने, चोटें प्राणघातक होने तथा मृतक की मृत्यु आंतरिक एवं बाह्य रक्तस्राव के कारण 24 घण्टे के भीतर की होने के संबंध में अभिमत देते हैं। प्रकरण में शव परीक्षण रिपोर्ट प्रपी० 2 बताकर उस पर ए से ए भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं।

10. प्रकरण में घटना दिनांक 22.04.13 को सुसंगत समय रात्रि करीब 8:30 बजे आहत पिंटू उर्फ राजेन्द्र जैन की कारित चोटें एवं मृतक पिंटू यादव की चोटें कारित होने के संबंध में चिकित्सक द्वारा प्र०पी० 1 व 2 के दस्तावेजों के माध्यम से अभिलेख पर तथ्य प्रमाणित किए हैं। उक्त दस्तावेज भारतीय साक्ष्य अधि० 1872 की धारा 35 के अधीन सुसंगत होकर उक्त अधिनियम की धारा 114 ड के अधीन चिकित्सक द्वारा पदीय कर्तव्य के निर्वहन में निष्पादित किए जाने से अविश्वास का कोई आधार न होने के कारण सुसंगत व प्रमाणित हैं। अभियुक्त की ओर से भी फरियादी पिंटू उर्फ राजेन्द्र एवं मृतक पिंटू यादव को घटना दिनांक को दुर्घटनाजन्य चोटों के कारित होने के तथ्य को कोई चुनौती नहीं दी गयी है। इस कारण से साक्षीगण की साक्ष्य, प्र०पी० 1, 2 व 3 के दस्तावेजों के माध्यम से प्रमाणित हो जाता है कि दिनांक 22.04.13 को रात्रि करीब 8:30 बजे फरियादी पिंटू एवं मृतक पिंटू यादव को दुर्घटनाजन्य चोटें मौजूद थीं जिनके कारण मृतक पिंटू यादव की मृत्यु भी हुई। अब इस तथ्य का विवेचन किया जाना है कि क्या आहत पिंटू उर्फ राजेन्द्र एवं मृतक पिंटू यादव को अभियुक्त के उपेक्षा व उतावलेपनपूर्ण कृत्य से उक्त चोटें एवं मृत्यु कारित हुई थी ?

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1, 4, 5 व 6 का निष्कर्ष

11. फरियादी पिंटू उर्फ राजेन्द्र अ०सा० 1 अपने अभिसाक्ष्य में स्पष्ट कथन करते हैं कि एक सफेद भूरे रंग के एस्कार्ट टेक्टर चालक ने तेजी से आकर उनकी मोटरसाईकिल में टक्कर मार दी जिससे कथित दुर्घटना कारित हुई। साक्षी प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 4 में कथन करते हैं कि कथित टेक्टर अपनी साईड में जा रहा था, उक्त टेक्टर की एक लाईट जल रही थी, टेक्टर पर कोई छत्री नहीं थी, बगैर छत्री का था तथा टेक्टर के आगे का बांयी तरफ का पहिया खिचा पड़ा था और बड़े पहिये का मडगार्ड टेड़ा था। साक्षी कण्डिका 5 में पुनः कथन करता है कि टेक्टर का अगला छोटा पहिया निकला हुआ था। फरियादी पिंटू उर्फ राजेन्द्र घटना का सर्वोत्तम साक्षी है वह साक्ष्य में कथित टेक्टर का नंबर बताने में अस्मर्थ है। कथित टेक्टर के आगे का बांया पहिया निकला होने का कथन कर रहे हैं। ऐसी दशा में महत्वपूर्ण हैं कि जो टेक्टर दुर्घटना में तेजी से चलना बताया है वह तीन पहियों पर यद्यपि चल अवश्य सकता है, किन्तु तेजी से चल रहा इस संबंध में संदेह स्वयं फरियादी के कथनों से स्पष्ट होता है।

12. फरियादी पिंटू उर्फ राजेन्द्र अ०सा० 1 घटना के समय उसके एवं पिंटू यादव के अलावा अन्य किसी का न होना बताते हैं, बाद में फेरनसिंह और धर्मेन्द्र के आने का कथन करते हैं। धर्मेन्द्र यादव अ०सा० 2 अपने अभिसाक्ष्य में कथन करते हैं कि वे अमायन से मौ मोटरसाईकिल से फेरनसिंह के साथ आ रहे थे और रात 8-8:30 बजे स्योढा रोड पर बारह वीघा घटनास्थल पर टेक्टर से मोटरसाईकिल का एक्सीडेंट हो गया था, कथित टेक्टर की एक लाईट जलने का कथन करते हैं। साक्षी प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में बताते हैं कि वे अमायन से मामा नाम के व्यापारी के पास गए थे। वे फरियादी एवं मृतक के साथ अमायन नहीं गए थे। साक्षी कथन करते हैं कि मृतक जोगेन्द्र उर्फ पिंटू उनका सगा भाई है और इस सुझाव से इंकार करते हैं कि कथित टेक्टर सड़क किनारे खड़ा था जिसका अगला पहिया निकला था, स्वतः कथन करते हैं कि टक्कर के बाद पहिया निकला। इस प्रकार से साक्षी का कथन फरियादी राजेन्द्र उर्फ पिंटू से विरोधाभासी है जो घटना के समय कथित टेक्टर के तीन पहिए पर चलने का कथन कर रहे हैं, जबकि साक्षी धर्मेन्द्र अ०सा० 2 टक्कर के बाद पहिया निकल जाने का कथन कर रहे हैं। साक्षी मृतक का सगा भाई है। ऐसी दशा में उसकी हितबद्धता प्रकट होती है।

13. फेरनसिंह अ०सा० 3 यह कथन करते हैं कि वे अमायन से धर्मेन्द्र के साथ आ रहे थे जहां 8-8:30 बजे बाहर वीघा स्थान पर पहुंचे, उक्त स्थान पर दुर्घटना होने का कथन करते हैं। साक्षी कण्डिका 4 में स्पष्ट रूप से कथन करता है कि फरियादी पिंटू जैन और मृतक पिंटू यादव उनके साथ नहीं गए थे। जहां फरियादी राजेन्द्र उर्फ पिंटू मुख्य परीक्षण में अमायन से वापस लौटने का कथन करते हैं वही फेरनसिंह अ०सा० 3 मृतक एवं आहत के स्योढा से आने का कथन करते हैं।

कण्डिका 4 में पुनः कथन करते हैं कि मृतक व आहत स्योढा कितने बजे निकल गए और स्योढा से कितने बजे चले थे। साक्षी प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 5 में कथन करता है कि दुर्घटना के समय उन्होंने देखा कि टेक्टर तीन पहिये का था जिसमें अगला पहिया नहीं था। यह साक्षी भी मृतक पिंटू यादव एवं साक्षी धर्मेन्द्र का चचेरा भाई है। इस प्रकार से उक्त साक्षी की भी प्रकरण में मृतक से हितबद्धता है।

14. प्रकरण में फरियादी राजेन्द्र उर्फ पिंटू अपने अभिसाक्ष्य में कथन करते हैं कि पुलिस मौके पर आई थी जो उन्हें उठा ले गयी थी, किन्तु प्रतिपरीक्षण में यह बताने में अस्मर्थ हैं कि पुलिस को सूचना किसने दी थी। धर्मेन्द्र अ०सा० 2 प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 4 में तथा फेरनसिंह मुख्य परीक्षण में यह बताने में अस्मर्थ हैं कि पुलिस ने किसको फोन लगाया। साक्षी पिंटू उर्फ राजेन्द्र अ०सा० 1 घटना के बाद पुलिस उसे सीधे अस्पताल ले जाने और बाद में थाने जाने का कथन करता है। फेरनसिंह और धर्मेन्द्र के संबंध में साक्षी की पुलिस रिपोर्ट प्र०पी० 3 में उल्लेख नहीं हैं। साक्षी यह कथन करता है कि धर्मेन्द्र और फेरनसिंह उसके साथ नहीं गए थे, कहां गए थे उसे नहीं मालूम। धर्मेन्द्र अ०सा० 2 कथन करता है कि वह मृतक पिंटू उर्फ जोगेन्द्र के साथ अस्पताल गया था, जबकि पिंटू जैन रिपोर्ट करने गया था। कण्डिका 4 में यह कथन करने में अस्मर्थ है कि पिंटू जैन थाने कितने बजे गया और लौटकर थाने से अस्पताल किस वाहन से आया। फेरनसिंह अ०सा० 3 कण्डिका 5 में कथन करते हैं कि पुलिस की गाडी से अस्पताल गए थे, 9:30 बजे अस्पताल पहुंच गए थे, पिंटू जैन अस्पताल में भर्ती रहा था। इस प्रकार से उपरोक्त तीनों साक्षीगण परस्पर विरोधाभासी कथन कर रहे हैं।

15. फरियादी राजेन्द्र उर्फ पिंटू अ०सा० 1 जो कि घटना का महत्वपूर्ण साक्षी है वह अभियुक्त के द्वारा कथित एस्कार्ट टेक्टर चलाए जाने के संबंध में स्पष्ट कथन करने में अस्मर्थ है। फेरनसिंह अ०सा० 3 अपने मुख्य परीक्षण में पहले तो कथित वाहन चालक को पहचान लेने का कथन करते हैं किन्तु न्यायालय में उपस्थित व्यक्तियों में अभियुक्त से भिन्न कल्लू यादव पुत्र झण्डासिंह निवासी गुरियाची थाना मौ को भागते हुए देखने का कथन करते हैं, जबकि न्यायालय में अभियुक्त के उपस्थित होने का उल्लेख किया गया है। धर्मेन्द्र यादव अ०सा० 2 अपने अभिसाक्ष्य में अभियुक्त को नाम से कथित चालक के रूप में पहचानकर भागते हुए देख लेने का कथन करते हैं। साक्षी कण्डिका 4 में अभियुक्त को नाम से घटना के समय न जानने का कथन करते हुए न्यायालय में साक्ष्य के समय जानने का कथन करता है। जहां धर्मेन्द्र यादव अ०सा० 2 घटना के समय उसकी एवं मृतक जोगेन्द्र यादव की मोटरसाईकिल 10-12 फीट की दूरी पर चलने का कथन करता है वहीं फेरनसिंह अ०सा० 3 घटना में लिफ्ट मोटरसाईकिल से उसकी मोटरसाईकिल की दूरी एक किमी० होने का कथन करते हैं। फरियादी घटना के समय साक्षी धर्मेन्द्र व फेरन की उपस्थिति से इंकार करते हैं और बाद

में आने का कथन करते हैं। फेरन अ०सा० 3 जो धर्मेन्द्र अ०सा० 2 के साथ मोटरसाईकिल पर आना बता रहा है, उक्त तीनों साक्षियों के कथन में परस्पर विरोधाभास है ऐसी दशा में धर्मेन्द्र अ०सा० 2 ने घटना के समय कथित एस्कार्ट टेक्टर को अभियुक्त द्वारा चलाते हुए देखने के संबंध में किया गया कथन संदिग्ध हो जाता है।

16. घटना रात्रि 8:30 बजे की बताई गयी है, जिस समय साक्षीगण ने अंधेरा होने का कथन किया है। ऐसी दशा में अभियुक्त को साक्षीगण ने वाहन चलाते हुए देखा हो, इस संबंध में सुदृढ साक्ष्य अभिलेख पर नहीं हैं। यदि अभियुक्त को साक्षी पश्चात में पहचानने का कथन करते तो यह अनुसंधानकर्ता का दायित्व था कि वे अभियुक्त की शिनाख्त कार्यवाही निष्पादित कराता, जिसका कि मामले में अभाव है। फरियादी पिंटू उर्फ राजेन्द्र अ०सा० 1 घटना के समय लिफ्ट टेक्टर में छत्री न होने बिना छत्री के टेक्टर होने का कथन करते हैं। धर्मेन्द्र अ०सा० 2 कथित टेक्टर पर छत्री लगे होने, छत्री लोहे की, कपडा होने का कथन करते हैं, जबकि फेरन अ०सा० 3 प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 5 में छत्री लगी होने जिस पर सफेद कपडा चढा होने का कथन करते हैं। इस प्रकार से तीनों साक्षियों के कथनों में महत्वपूर्ण विरोधाभास है जो कि साक्षियों की परस्पर हितबद्धता को देखते हुए महत्वपूर्ण हो जाता है।

17. निहालसिंह अ०सा० 5 ने दिनांक 23.04.13 को घटनास्थल से कथित एस्कार्ट टेक्टर बिना नंबर का प्र०पी० 10 के अनुसार जब्त किया जाना बताया है। जहां फरियादी राजेन्द्र उर्फ पिंटू उक्त टेक्टर के बांयी ओर का पहिया निकले होने का कथन कर रहे हैं वही निहालसिंह अ०सा० 5 टेक्टर के दाए साईड का पहिया टूटे होने का कथन कर रहे हैं। इस प्रकार से प्रकरण में साक्ष्य में गंभीर विरोधाभास है। अभियुक्त की पहचान घटना के साक्षियों द्वारा वाहन चलाते हुए देखे जाने के संबंध में संपुष्टिकारक कथन नहीं किए हैं। वाहन टेक्टर के तीन पहिये पर तेजी व लापरवाही से चलने का तथ्य स्वयं ही संदिग्ध तथ्य की श्रेणी में आता है। कथित साक्षीगण धर्मेन्द्र अ०सा० 2 एवं फेरनसिंह अ०सा० 3 मृतक पिंटू उर्फ जोगेन्द्र यादव के भाई है जिनके कथनों में सारवान विरोधाभास प्रकट हुआ है। इस प्रकार से अभियुक्त के द्वारा कथित घटना दिनांक 22.04.13 को सुसंगत समय 8:30 बजे बिना नंबर के एस्कार्ट टेक्टर को चलाकर मृतक व आहत का मानव जीवन संकटापन्न करने एवं उक्त रीति से दुर्घटना कारित कर आहत पिंटू उर्फ राजेन्द्र को उपहति एवं आहत पिंटू उर्फ जोगेन्द्र यादव की ऐसी परिस्थिति में मृत्यु जो आपराधिक मानव बध की श्रेणी में नहीं आती, का कृत्य युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं हो रहा है। अभियुक्त संदेह के आधार पर लाभ प्राप्त करने का हकदार है।

18. दाण्डिक विधि के अधीन अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है अर्थात् यदि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के मन में अभियुक्त के दोषी होने के संबंध

में संदेह उत्पन्न हो जाए तो वह अपराध अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कहलाता है। न्याय दृष्टांत जोश उर्फ पप्पाचान विरुद्ध पुलिस उपनिरीक्षक कोयीलैण्डी व अन्य ए0आई0आर0 2016 एस0सी0 4581रू 2016-4 सी0सी0एस0सी0 1807 में हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 53 में यह मताभिव्यक्ति की है कि “विधि की पुरातन प्रस्थापना है कि सन्देह चाहे जितना भी गम्भीर हो, यह सबूत का स्थान नहीं ले सकता और यह कि अभियोजन दाण्डिक आरोप पर सफल होने के लिए “सत्य हो सकेगा” की परिधि में अपने मामले को दाखिल करने का साहस नहीं कर सकता, किन्तु उसे आवश्यक रूप से “सत्य होना चाहिए” के संवर्ग में उसे उद्धृत करना चाहिए। दाण्डिक अभियोजन में, न्यायालय का यह सुनिश्चित करना कर्तव्य है कि मात्र अटकलबाजी या संदेह विधिक सबूत का स्थान ग्रहण नहीं करते और ऐसी स्थिति में, जहां उपलब्ध साक्ष्य की पृष्ठभूमि में युक्तियुक्त संदेह स्वीकार किया जाता है, न्याय की विफलता को निवारित करने के लिए संदेह का लाभ अभियुक्त को प्रदान किया जाना चाहिए। ऐसा संदेह आवश्यक रूप से युक्तियुक्त होना चाहिए न कि काल्पनिक, कल्पनापूर्ण, अमूर्त या अस्तित्वहीन, किन्तु जैसा कि निष्पक्ष, प्रज्ञापूर्ण और विश्लेषणात्मक मस्तिष्क द्वारा स्वीकार्य हो, कारण और सामान्य ज्ञान की कसौटी पर निर्णीत किया गया हो। दाण्डिक न्यायशास्त्र में प्राथमिक शर्त भी है कि यदि उपलब्ध साय पर दो मत संभव है, जिनमें से एक अभियुक्त के अपराध को और दूसरा उसकी निर्दोषिता को निर्दिष्ट कर रहा है, तो अभियुक्त के पक्ष में मत को अंगीकार किया जाना चाहिए।”

19. उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अभियोजन अपना मामला अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि उसने दिनांक 22.04.13 के रात्रि 8 बजे या उसके लगभग मौ स्योढा रोड बारह वीघा मोड अंतर्गत थाना मौ लोकमार्ग पर वाहन एस्कार्ट टेक्टर बिना नंबर का उतावले या उपेक्षा पूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया एवं उक्त कृत्य द्वारा आहत पिंटू की मोटरसाईकिल क्र० एम०पी०-30 बी०ए०-9735 में टक्कर मारकर उसे उपहति कारित की एवं उक्त मोटरसाईकिल पर पीछे बैठे पिंटू उर्फ जोगेन्द्र यादव की ऐसी मृत्यु कारित की जो कि आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती तथा यह जानते हुए या आशय से कि आहत पिंटू को सदोष हानि या नुकसान कारित होगा, उसकी मोटरसाईकिल में टक्कर मारकर करीब 11,500/-रुपये का नुकसान कर रिष्टि कारित की तथा उक्त टेक्टर का परिवहन बिना बीमा दस्तावेजों के किया। अतः अभियुक्त को संहिता की धारा 279, 337, 304 ए, 427 एवं मोटरयान अधि० की धारा 146/196 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

20. अभियुक्त की जमानत भारहीन की गयी, उसके निवेदन पर मुचलका निर्णय दिनांक से 6 माह तक प्रभावशील रहेगा।

21. प्रकरण में जब्तशुदा वाहन पूर्व से सुपुर्दगी पर है। अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि बाद बंधनमुक्त हो। अपील होने पर अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

22. अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि, यदि कोई हो, तो उसके संबंध में धारा 428 का प्रमाणपत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,
हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित
कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

ए०के० गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

ए०के० गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश